

कार्यालय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,
हरदोई ।

पत्रांक: 2196/परि०/एन०जी०औ०वयन/०३-०४

दिनांक: 27-X-०३


अध्यक्ष मन्त्री

जन कल्याण परिषद

हरदोई जिला कल्याण

स्वयं सहायता समूहों के गठन व उनके क्रियान्वयन हेतु दिनांक 27.08.03 को हुए साक्षात्कार व मुख्य विकास अधिकारियों की स्वीकृति दिनांक 16.10.03 के क्रम में आपकी संस्था को अंगीकृत किया जाता है । आयुक्त ग्राम्य विकास उ०प० शासन के निर्देशों के क्रम में आपकी संस्था को स्वयं सहायता समूह गठन व उनके क्रियान्वयन हेतु विकास अड वि०ग० आवंटित किया जाता है ।

अतः आपसे अपेक्षा है कि विकास अड वि०ग० में 15 स्वयं सहायता समूह का गठन व उनके क्रियान्वयन का कार्य करना सुनिश्चित करें तथा शासनादेश के अनुसार निर्धारित रूपपत्र पर अनुबन्ध पत्र भी प्रस्तुत करें ।


परियोजना निदेशक
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,
हरदोई ।

पत्रांक व दिनांक तद

प्रतिलिपि :- अड विकास अधिकारी को बस निर्देश के साथ कि वह कि वह संस्था के मंत्री को उपयुक्त ग्रामों का आवंटन कर उन ग्रामों की बी०पी०एल० सूची उपलब्ध कराये ।


परियोजना निदेशक
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,
हरदोई ।

कार्यालय जिला ग्राम्य विकास अधिकरण,
हरदोई ।

पत्रांक: 2029 सी रा/स्वै0संस्था-स्तजीस्ववा ई0/05 दिनांक 06/12-05

1- सी एच,
जन कल्याण पीरखद,
गाम पुरहा पी0 खुरहरा
हरदोई ।

2- सी एच,
जन कल्याण पीरखद,
पामावाद फरवावाद
जनपद फरवावाद ।

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 12-06-05 पर सम्बन्धित विचारोपरान्त मुख्य विकास अधिकारी हरदोई की स्वीकृत दिनांक 29.11.2005 के क्रम में आपको विकास खण्ड बिलग्राम, हरदोई में पूर्व गीता समूहों में अभिनव क्रिया-कलाप यथा कांच के मोती, कांच के बल्ब, वर्मी कम्पोस्ट व मौनपालन आदि का वरीयता के आधार पर लेते हुए उनके क्रियान्वयन हेतु स्पर्धायन्त्री ग्राम स्वरोज-गार योजनान्तर्गत निम्न शर्तों के अधीन अधिकृत विधा जाता है ।

- 1- समूह गठन के सापेक्ष गुणतान समूह की प्रथम मीटिंग व तीर्णतीर्णकरण कराने/केन्द्रीय उपरान्त ही संस्था को रिकवा जायेगा ।
- 2- संस्था द्वारा प्रतिमाह 25 तारीख को प्रगति विवरण विकास खण्ड व जिला ग्राम्य विकास अधिकरण को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ।
- 3- संस्था के सुविधादाता विकास खण्ड स्तरीय माप्ताहिक बैठक में भाग लेंगे ।
- 4- संस्था के अनुबन्ध के समक्ष संस्था की आडिट बैलेंसशीट/संजीकरण की मावापति तथा सुविधादाताओं के नियुक्तपत्र उपलब्ध कराना होगा ।
- 5- संस्था प्रति 15 समूह पर एक सुविधादाता की नियुक्ति कर उनकी एक प्रति विकास खण्ड व एक डी0आर0डी0एस0 को उपलब्ध करायेगी ।

अशोक कुमार मकलेना
परिचालना निदेशक
जिला ग्राम्य विकास अधिकरण,
हरदोई ।

पत्रांक व दिनांक तद

प्रतिनिधि :- विकास अधिकारी हरदोई को इन निर्देशों के माध्यम से
वह विकास खण्ड में उपलब्ध समूह जो सुविधादाताओं से आत्मसादित
न हो, क्रियान्वयन हेतु अधीन करें ।

2- मुख्य विकास अधिकारी, हरदोई की सेवा में सूचना दी जाती है ।

परिचालना निदेशक
जिला ग्राम्य विकास अधिकरण,
हरदोई ।